कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/ 461 दिनांक : 07.01.2021

01. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
02. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
04. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां पुनः प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग, जयपुर का पत्रांक : प. 32(1)शिक्षा–1/2000 पार्ट 7 दिनांक : 07.01.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि राज्य में कन्टेन्टमेंट जोंस के बाहर के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अभिभावकों की स्वीकृति उपरान्त स्वैच्छिक रूप से विद्यालय आकर अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी। प्रासंगिक पत्र (एस.ओ.पी.) की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि एस.ओ.पी. में वर्णित निर्देशों के अनुरूप समस्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों (राजकीय एवं गैर राजकीय) एवं कोचिंग स्थानों को दिनांक : 18.01.2021 से शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. (प्रासंगिक पत्र) का अधिकाधीक प्रचार–प्रसार किया जावे एवं समस्त विद्यालयों में इसकी पालना सुनिश्चित करवाई जाए।

साथ ही कोविड–19 के बाद विद्यालय पुनः खोले जाने के संबंध में जागरूकता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के साथ संवाद एवं निर्देश प्रदान किए जाने के लिए प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की सानिध्य में दिनांक : 08.01.2021 को अपरान्ह् 03:00 से 04:30 बजे तक संबंधित ब्लॉक एवं जिला **DoI&T** केन्द्रों पर विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला मुख्यालयों पर कार्यरत अधिकारी संबधित जिलों से एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पीईईओ संबंधित ब्लॉकों से इस विडियों कॉन्फ्रेंसिग में आवश्यक रूप से भाग लेंगे।

संलग्न :– एस.ओ.पी. की प्रति।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
02. शासन उप सचिव, ग्रह (ग्रुप–9) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
03. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
04. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

E:\Genral letter.docx

1208

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 32(1)शिक्षा–1 / 2000 पार्ट 7 जयपुर, दिनांक : 07/01/2021

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय :– राज्य के समस्त विद्यालयों में नियमित कक्षा शैक्षिणिक गतिविधियां प्रारम्भ करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, गृह का आदेश प. 33(2) गृह–9 / 2019 जयपुर, दिनांक 06.01.2021 के अनुसरण में लेख है कि राज्य के समस्त विद्यालयों में दिनांक 18.01.2021 से निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देश पत्र क्रमांक : कोरोना / 2020 / 1180 जयपुर, दिनांक 11.09.2020, गृह विभाग एवं विद्यालयों को कोविड–19 के पश्चात पुनः खोले जाने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) (संलग्न) के अनुसार नियमित कक्षा शैक्षिणिक गतिविधियां प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग के निर्देशों की अक्षरक्षः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

कोविड–19 के बाद विद्यालय पुनः खोले जाने के सम्बन्ध में जागरूकता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के साथ संवाद एवं निर्देश प्रदान किये जाने के लिए प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की सानिध्य में दिनांक 08.01.2021 को अपरान्ह 3.00 से 4.30 बजे तक DoIT केन्द्रों पर विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का आयोजन किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित अधिकारी भाग लेंगे :–

1. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, एससीईआरटी, उदयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक / प्रारम्भिक, प्रधानाचार्य, डाईट एवं आईएएसई, राजस्थान।
5. समस्त पीईईओ, राजस्थान।

निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर से, निदेशक, एससीईआरटी, उदयपुर से जिला मुख्यालयों पर कार्यरत अधिकारी सम्बन्धित जिलों से एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पीईईओ सम्बन्धित ब्लॉकों से विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में भाग लेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मारतेन्द्र जैन)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, एससीईआरटी, उदयपुर।
6. केयर टेकर, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

07.1.21

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी–शिक्षा

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 32(1)शिक्षा–1 / 2000 पार्ट 7

जयपुर, दिनांक : 07/1/2021

विद्यालयों में शिक्षण कार्य के पुनः प्रारम्भ करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशांक : 40–3 / 2020–डीएम–1(ए), दिनांक : 30 सितम्बर, 2020 के अनुसरण में राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पत्रांक : प.33(2)गृह–9 / 2019, दिनांक : 06.01.2021 के द्वारा कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के विद्यालयों में कक्षा–9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अभिभावकों की स्वीकृति उपरान्त स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त संदर्भ में राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी किए जाने के निर्देशों के क्रम में निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के निर्देश पत्र क्रमांक : कोरोना / 2020 / 1180 दिनांक : 11.09.20 द्वारा समुचित दिशा–निर्देश प्रदान किए गए हैं। उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप राज्य के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों **(राजकीय एवं गैर राजकीय)** को आगामी माह कक्षा शिक्षण हेतु अनुमत किए जाने के परिप्रेक्ष्य में एतद् द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) जारी की जाती है :–

कोविड–19 के बचाव के संबंध में जागरूकता के लिये जारी की जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के क्रियान्वयन हेतु दायित्व एवं रूपरेखा निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	मार्गदर्शन देने हेतु बैठक लेने वाले अधिकारी	बैठक में भाग लेने वाले संभागी	आयोजन की तिथि
1	संबंधित जिला कलक्टर	अधीनस्थ सभी उपखण्ड अधिकारी, संयुक्त निदेशक शिक्षा, सीएमएचओ, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, उप निदेशक (महिला एवं बाल विकास)	दिनांक 11.01.2021 तक
2	उपखण्ड अधिकारी	उपखण्ड के सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विकास अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर कार्य महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी	दिनांक 12.01.2021 तक
3	पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी	पंचायत में संचालित समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधान, कोविड–19 के लिये बनाई गई ग्राम निगरानी समिति, समस्त शिक्षक, एसडीएमसी के सदस्य गण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सेवक, पटवारी, पंचायत में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी, अभिभावक प्रतिनिधि	दिनांक 14.01.2021 तक
4	संस्था प्रधान	सभी शिक्षक, अभिभावक (पीटीएम बैठक) एसडीएमसी के सदस्य, इच्छुक विद्यार्थी,	दिनांक 16.01.2021 तक

1–<u>स्वास्थ्य,स्वच्छता एवं संरक्षा के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (विद्यालय खुलने से पूर्व)</u>

- विद्यालय के समस्त परिसर,फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, शौचालय–मूत्रालय, भण्डार कक्ष, पानी की टंकियां अथवा अन्य स्थान, किचन, प्रयोगशाला एवं अन्य समस्त स्थानों को संक्रमण मुक्त करने के लिये सेनेटाईज कर स्वच्छ एवं व्यवस्थित किया जाना संस्था प्रधान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

- विद्यालय में हाथ धोने की सुविधा सुनिश्चित की जावे। इस हेतु लिक्विड़ हेंडवाश एवं जल की नियमित व्यवस्था का दायित्व विद्यालय का होगा।
- विद्यालय में यथा संभव प्रत्येक कक्षा–कक्ष के सामने फुट ओपरेटेड सेनेटाईज स्टैण्ड (FOOT OPERATED SANITIZE STAND) की व्यवस्था विद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु स्वच्छता अनुदान राशि, भामाशाह, विद्यार्थी कोष तथा विकास कोष का उपयोग लिया जाए।
- विद्यालय को संक्रमण मुक्त रखने के लिये हर समय अतिरिक्त फेसमास्क, सोड़ियम हाईपोक्लोराईड़ घोल, सेनेटाईजर इत्यादि उपलब्ध रखा जाना सुनिश्चित करना संस्था प्रधान का दायित्व होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी को दिया जा सके एवं उन्हें केवल मास्क के लिये वापस घर नहीं जाना पड़े। संक्रमण मुक्त करने वाला साबुन, डिजिटल थर्मामीटर/थर्मल स्कैनर इत्यादि सामयिक उपरणों एवं सामग्री की यथा संभव व्यवस्था की जावे।
- विद्यालय में विद्यार्थी लंच के समय अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे, जिनके साथ कक्षा–अध्यापक का भी उसी कक्षा में लंच में रहना सुनिशिचित किया जावे।
- विद्यालय के वाहन/बालवाहिनी का उपयोग प्रारम्भ करने से पूर्व उसे पूरी तरह से सेनेटाईज किया जावे।
- बरामदों को साफ एवं हवादार बनाने के लिये रूकावट बने सामान को हटाया जावे, जिससे कमरों एवं बरामदों में पर्याप्त प्रकाश एवं शुद्ध वायु आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
- विद्यार्थियों को पीने का पानी यथासंभव घर से लाने हेतु शिक्षकों द्वारा प्रेरित किया जावे तथा **पानी की बोतल के पारस्परिक उपयोग से बचने हेतु पाबन्द किया जावे**। घर से पानी नहीं ला पाने वाले विद्यार्थियों हेतु विद्यालय परिसर में समुचित स्वास्थ्यप्रद स्थान पर शुद्धएवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
- सम्पूर्ण विद्यालय परिसर की पूर्ण साफ–सफाई एवं शौचालयों–मूत्रालयों की स्वच्छता मानदण्डों के अनुरूप अच्छी प्रकार से सफाई तथा पानी की टंकियों की साफ–सफाई आवश्यकें रूप से करवाई जाये। इस हेतु समग्र शिक्षा द्वारा समस्त विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली **कम्पोजिट स्कूल ग्रांट में से 10 प्रतिशत स्वच्छता अनुदान राशि का उपयोग** किया जाये तथा अतिरिक्त आवश्यकता की स्थिति में **एस.डी.एम.सी. की अनुमति उपरान्त विकास कोष की राशि** काम में लेवें।
- विद्यालय में सम्पूर्ण स्टाफ एवं विद्यार्थियों को विद्यालय में अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही आने के लिए सख्ती से पाबन्द किया जाए। बिना मास्क/फेसकवर के किसी भी आगन्तुक को विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जावे। विद्यार्थियों को प्रयुक्त मास्क की नियमित धुलाई/सफाई/बदलाव हेतु निर्देशित कर पाबन्द करें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक स्थान (PUBLIC PLACE) को संक्रमण मुक्त रखने के संबंध में जारी गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित की जावे।
- विद्यालय खुलने से पहले एसओपी के प्रचार – प्रसार, विद्यार्थियों/अभिभावकों के कर्त्तव्य के प्रति जागरूक करने तथा उनके विश्वास पैदा करने के लिए प्रेरक दल का गठन करे, जिसमें सभी शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं चिकित्सा विभाग के कार्मिक शामिल होंगे, जो कि कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए "डोर टू डोर" जाकर ग्राम पंचायत बैठकों में प्रचार प्रसार सामग्री पहुंचाकर समुदाय एवं विद्यार्थियों में विश्वास स्थापित करेंगे। उक्त के लिए अध्यापक–अभिभावक बैठक भी आयोजित की जावे।
- विद्यालय एवं गांव में एसओपी के प्रचार – प्रसार के लिए ग्राम स्तरीय निगरानी समिति कार्य करेगी, जोकि कोरोना के लक्षणों एवं बचाव के बारे में अभिभावकों में चेतना जागरूक करेगी, जिससे प्रारम्भिक लक्षण वाले विद्यार्थियों की पहचान कर ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय न भेजे।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, समग्र शिक्षा द्वारा भेजे गए IEC Material को अध्यापकों के माध्यम से सभी बच्चों एवं अभिभावकों तक पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही 03 Key message मास्क अनिवार्य, 02 गज शारीरिक दूरी एवं हैण्ड हाईजीन की जागरूकता कोविड–19 की गाईड लाईन के प्रावधानों के अनुरूप की जावे।
- यदि संभव हो, तो सिंगल सीटेड बैंच/डेस्क का उपयोग किया जावे, अन्यथा कक्षा–कक्ष से फर्नीचर बाहर निकाल कर दरी पर न्यूनतम शारीरिक दूरी की अनिवार्यता के अनुसार चिन्ह लगाते हुए बैठक व्यवस्था की जावे।

- बड़े एवं हवादार कमरों का प्रयोग प्राथमिकता से किया जावे, जिनमें प्रकाश आसानी से पहुंचता हो।
- विद्यार्थियों को बरामदे में, मैदान मे, खुले छांयादार वृक्षों के नीचे निर्धारित शारीरिक दूरी की पालना करते हुए बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- आगामी निर्देश आने तक विद्यालयों में **प्रार्थना सभा एवं सामूहिक खेल तथा उत्सवों के आयोजन/रैली/सभाओं पर अनिवार्य रूप से रोक रहेगी।**
- कक्षाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य सामग्री यथा पुस्तक, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि का पारस्परिक विनिमय प्रतिबंधित किया जावे। विद्यालय समय एवं विद्यालय आवागमन के दौरान विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में समूह में एकत्रित नहीं होने के लिए सख्त हिदायत प्रदान करें।
- शिक्षकों के बैठने के स्थान यथा स्टाफ रूम, कार्यालय कक्ष आदि में भी शारीरिक दूरी के प्रोटोकाल की पालना की जावे।
- नियमित कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा कक्ष की क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।
- विद्यालय खुलने से पूर्व बैठक व्यवस्था का प्लान तैयार कर लिया जावे तथा वह विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे, विद्यार्थी को आवंटित सीट पर ही बिठाया जाना सुनिश्चित किया जावे जिससे कक्षा संचालन वाले दिवस को बैठक व्यवस्था आसानी से बनाई रखी जा सके।
- पृथक-पृथक कक्षाओं का विद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान का समय अलग-अलग रखा जा सकता है, जिससे प्रवेश एवं निकास के समय भीड़ एक स्थान पर एकत्रित ना हो पाए।
- **प्रथम चरण में दिनांक : 18 जनवरी, 2021 से** विद्यालय में कक्षा 9 से 12 का कक्षा शिक्षण के तहत कक्षावार विद्यार्थियों का समय निम्नानुसार रखा जाना है :-

कक्षा	विद्यालय आने का समय	विद्यालय छोड़ने का समय
9	प्रात : 10 बजे	सांय 04 बजे
10	प्रात : 9.30 बजे	सांय 03.30 बजे
11	प्रात : 10 बजे	सांय 04 बजे
12	प्रात : 9.30 बजे	सांय 03.30 बजे

- प्रवेश एवं निकास के समय मुख्य द्वार एवं अन्य गेट पूरी तरह से खोला जाना सुनिश्चित किया जावे, जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ ना हों। संस्था प्रधान द्वारा प्रवेश एवं निकास द्वार पर शिक्षक ड्यूटी लगाई जावें।
- कक्षा : 1 से 8 के कक्षा शिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।
- शनिवार को भी कक्षा शिक्षण का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करे।
- संस्था प्रधान एवं अध्यापक कक्षावार समय विभाग चक बनाकर शिक्षण कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के पोस्टर्स विद्यालय में नोटिस बोर्ड और मुख्यद्वार पर लगाए जावें।
- उल्लेखित गाईड लाईन में विद्यालय के कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, मैदान एवं अन्य सामग्री के उपयोग के संबंध में स्पष्ट हिदायतें प्रदान की जावे। विद्यालय आपातकालीन परिस्थिति के लिए तैयार रहें, आपातकालीन सेवाओं के दूरभाष नम्बर सुविधाजनक स्थान पर अंकित करवाए जाए।
- यदि बाल-वाहिनी है तो उसके उपयोग एवं आने-जाने के रूट एवं विद्यार्थियों का उल्लेख हो। इस संबंध में बैठक प्लान वाहन के बाहर एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे तथा आवंटित सीट पर ही बच्चे को बिठाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य कार्मिकों को विद्यालय खुलने की सूचना देना।
- जिला एवं ब्लॉक स्तरीय मेडिकल ऑफिसर से सम्पर्क कर विद्यालय वार टीम गठित की जावे, जो विद्यालय के स्टाफ एवं विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ जांच हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करे।

- इस दल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत चिकित्सक, एएनएम, कम्पाउडर को भी सम्मिलित किया जाएगा। उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा तत्सम्बन्धी आदेश जारी किए जाएंगे।
- विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच करवाई जावे, जिसका रिकार्ड संधारण किया जावे।
- अवकाश पर रहने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाईन अध्ययन हेतु सुविधा दी जावे अथवा अतिरिक्त कक्षा आयोजित कर बकाया पाठ्यक्रम पूर्ति करवाई जावे।
- मोबाईल रखने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आरोग्य सेतु डाउनलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- विद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति बाध्यकारी नहीं होगी। अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जावे।
- मौजूदा शिक्षण सत्र में कक्षा शिक्षण 15 मई 2021 तक कराया जाएगा।
- सत्र : 2020–21 में शेष रहे कार्य दिवसों के लिये राजस्थान सरकार द्वारा जारी शासकीय पंचांग में उल्लेखित राजपत्रित एवं रविवारीय अवकाश के अतिरिक्त विद्यालयों में कोई अतिरिक्त अवकाश नहीं होगा।
- विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थिति हेतु अभिभावक की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
- बीमारी के लक्षणों वाले विद्यार्थियों को अवकाश पर रहने हेतु पाबन्द करना।
- सभी संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि विशेष कारणों यथा– बीमारी के कारण अवकाश पर होने/रहने वाले विद्यार्थियों के लिए दिनांक : 15 मई से अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।
- विषयाध्यापक के अवकाशपर रहने की स्थिति में या विशेष आवश्यकता की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा कक्षा : 1 से 8 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों की योग्यतानुसार उपयोग लिया जा सकेगा।
- संस्था प्रधान विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों में से आवश्यकतानुसार शिक्षकों को एसओपी लागू करने के लिए या अन्य कार्य हेतु उपयोग में लेंगे। यहाँ यह आवश्यक ध्यान रखा जावे कि कक्षा – 9 से 12 में शिक्षण कार्य बाधित न हो।
- निर्धारित तिथि से पूर्व प्रत्येक विद्यालय तक पाठ्यपुस्तकें पहुंचने की सूचना शाला दर्पण पर अपडेट की जावे।
- जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों तक पाठ्यपुस्तकें नहीं पहुंच पाई है वहां सम्बन्धित विषयाध्यापक शाला दर्पण पर उपलब्ध पाठ्य पुस्तक की पीडीएफ फाईल डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे।
- मौजूदा सत्र में शेष कार्य दिवसों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा संशोधित किया गया पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया गया है, जिसे प्रत्येक विद्यालय द्वारा डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जावे।
- छात्रावास को प्रारम्भ करने से पूर्व चिकित्सा विभाग द्वारा जारी कोविड–19 की गाईडलाईन के अनुसार सम्पूर्ण परिसर, कमरें, किचन, शौचालय, पानी की टंकियां इत्यादि को संक्रमण मुक्त करने के लिये सेनेटाईज किया जावे।
- विद्यार्थियों को छात्रावास में अनुमत करने से पहले उनके स्वास्थ्य के संबंध में समुचित जानकारी प्राप्त की जावे।
- बीमार अथवा ऐसे किसी लक्षणों वाले विद्यार्थियों को छात्रावास में अनुमत नहीं किया जावे।
- शारीरिक दूरी संबंधी गाईड लाईन की सम्यक् पालना के लिये छात्रावास के प्रवेश–निकास तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर पूर्व में योजना बना कर व्यवस्था की जावे।
- विद्यार्थियों के बैड को पारस्परिक रूप से समुचित दूरी पर रखा जावे। इस हेतु अस्थाई पार्टीशन भी किया जा सकता है।
- दूसरे स्थानों से यात्रा कर छात्रावास आने वाले विद्यार्थियों को हिदायत दी जावे कि वे इस दौरान न्यनूतम सम्पर्क बनाएं।
- स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर ऐसी व्यवस्था की जावे कि छात्रावास प्रारंभ करते समय तथा बाद में नियमित अन्तराल पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं कार्मिक छात्रावास में आकर विद्यार्थियों के

स्वास्थ्य की जांच करे। यह स्वास्थ्य दल किचन एवं शौचालय आदि का निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव भी देवे।

- कोविड–19 की गाईडलाईन के अनुरूप छात्रावास की क्षमता की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था रखें।
- छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के मानसिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये परामर्श शिक्षक की नियमित विजिट करवाई जावे।
- विद्यार्थियों के बार–बार बाहर अथवा निवास स्थान की यात्रा पर प्रतिबंध रखा जावे तथा छात्रावास में अवांछित आंगतुकों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा जाए।
- आकस्मिक स्थिति के लिये पूर्व तैयारी रखी जावे तथा आवश्यक दूरभाष नम्बर छात्रावास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जावें।
- छात्रावास प्रारम्भ करने से पूर्व अभिभावकों के साथ ऑफलाईन/ऑनलाईन मीटिंग कर उनसे वांछित सहमति प्राप्त की जावे।
- छात्रावास की किचन पूर्णतः संक्रमण मुक्त हो एवं उसमें उपयोग में आने वाली सामग्री को संक्रमण मुक्त रखने के लिये आवश्यक उपाय करने के पश्चात् ही काम में लिया जावे।
- भोजन के दौरान न्यूनतम शारीरिक दूरी रखे जाने का ध्यान रखा जावे तथा भोजन के बर्तनों को पूर्णतः झागदार साबुन से धोने के बाद उपयोग में लाया जावे।
- बार–बार साबुन से हाथ धोए जावें, इसके लिए जल की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।
- छात्रावास में फुट ओपेरेटेड़ सेनेटाईज मशीन लगाई जाएगी।
- केवल उन्हीं विद्यार्थियों को छात्रावास में बुलाया जावे, जिनकी नियमित कक्षाएं प्रारम्भ की गई है।

2– स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं संरक्षा के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (विद्यालय खुलने के उपरांत)

- सम्पूर्ण विद्यालय एवं उसके परिसर की प्रतिदिवस सफाई की जावे तथा सफाई किये गये परिक्षेत्र का रिकार्ड रखा जावे।
- कक्षा–कक्ष एवं विद्यालय के प्रवेशद्वार तथा उपयोग में आने वाले स्थानों को प्रतिदिवस सेनेटाईज किया जावे।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को देखते हुए विद्यार्थियों को सीधे परिसर की सफाई संबंधी कार्यों से मुक्त रखा जावे।
- गंदे पानी और अपशिष्ट की निकासी की पर्याप्त एवं सुचारू व्यवस्था हो, जिससे यह किसी गंदगी का कारण न बन सके।
- बार–बार छुए जाने वाले उपकरणों, धरातल यथा कक्षा–कक्ष का फर्श, दरवाजे के हैंडल, नल आदि की सफाई बार–बार की जानी सुनिश्चित की जावे।
- रोज उपयोग में आने वाली सामग्री जैसे कुर्सी, दरी, स्टूल, बोर्ड, कम्प्यूटर एवं उसके उपकरण इत्यादि को प्रति दिवस संक्रमणमुक्त करने के लिए सेनेटाईज किया जावे।
- प्रत्येक कक्षा के बाहर डस्टबिन रखे जावे तथा उन्हें अलग–अलग कचरे के अनुसार रखें तथा तद्नुसार नष्ट करने की व्यवस्था करें।
- सभी डस्टबिन साफ तथा ढ़के हुए हों। इसे नष्ट करने के लिये निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना की जावे।
- प्रतिदिवस हाथ धोने के लिये साबुन एवं साफ जल की व्यवस्था के लिये किसी शिक्षक को मनोनीत किया जावे, जो इसकी उपलब्धता की मोनेटरिंग करेंगे।
- यदि संभव हो, तो प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर उपलब्ध कराया जावे।
- प्रत्येक कार्य यथा शिक्षक के कालांश पूर्ण होने, लंच के उपरांत, लघुशंका के उपरांत साबुन से 40 सैकण्ड तक हाथ धोने के लिये प्रेरित करे।
- विद्यालय में मिड डे मील नहीं बनाया जाएगा, सूखा राशन बांटा जाएगा। मिड डे मिल वितरण सम्बन्धी गतिविधियां विद्यालय संचालन अवधि में नहीं की जावे।

- सभी स्टाफ सदस्य एवं विद्यार्थी आवश्यक रूप से फेसमास्क पहन कर ही विद्यालय आएंगे तथा विद्यालय गतिविधियों के दौरान मास्क पहने रखेंगे।
- किसी भी स्थिति में मास्क परस्पर बदला नहीं जावे। यथा संभव मास्क को प्रतिदिवस धोया जावे।
- विद्यालय में अतिरिक्त फेसमास्क रखे जावे, जो विशिष्ट परिस्थितियों यथा मास्क फटने, गुम होने पर विद्यार्थी को उपलब्ध कराया जावे।
- प्रत्येक विद्यार्थी को यह जानकारी उपलब्ध कराई जावे कि खांसी आने अथवा छींकने पर बांह को मोड़ कर नाक को कोहनी के जॉइन्ट के मध्य रखें।
- विद्यालय में यत्र–तत्र नहीं थूकने के लिये विद्यार्थियों को जागरूक किया जावे।
- विद्यालय में सफाई कार्य करने वाले कार्मिकों को फेसमास्क एवं ग्लॉब्स उपलब्ध कराए जाएं।
- विद्यार्थियों को घर से खाना लाने एवं पेयजल लाने के लिये प्रोत्साहित किया जावे।
- विद्यालय परिसर अथवा परिसर के बाहर ठेले अथवा खोमचे वाले विक्रेताओं का आना प्रतिबंधित रहेगा तथा विद्यार्थियों को ऐसे लोगों से रास्ते में भी खाद्य सामग्री नहीं खरीदने हेतु जागरूक किया जावे।
- उक्त निर्देशों की पालना हेतु आवश्यक है कि विद्यार्थियों के अभिभावकों को पूर्व में पीटीएम के दौरान विश्वास में लिया जावे।
- विभिन्न व्यवस्थाओं के अवलोकन एवं प्रबोधन के लिये शिक्षकों के साथ इच्छुक विद्यार्थियों को भी उत्तरदायित्व दिया जा सकता है।
- बालवाहिनी को प्रतिदिवस कम से कम दो बार सेनेटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वाहन की बैठक व्यवस्था में शारीरिक दूरी के अनुरूप क्षमता से ही विद्यार्थियों को बिठाया जावे।
- बाल वाहिनी के ड्राईवर एवं कण्डक्टर शारीरिक दूरी तथा फेसमास्क संबंधी निर्देश की पालना सुनिश्चित करेंगे।
- बाल वाहिनी में प्रवेश एवं निकास के समय शारीरिक दूरी का ध्यान रखा जावे।
- यदि संभव हो, तो विद्यालय एवं बाल वाहिनी के प्रवेशद्वार पर थर्मल स्केनिंग किया जावे।
- यदि विद्यालय में एक से अधिक द्वार हैं, तो आगमन एवं प्रस्थान के समय उन सभी को खोला जावे।
- स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर विद्यालय परिसर के ठीक बाहर भीड़ पर नियन्त्रण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- समूह क्रियाएं यथा खेलकूद, समूह नृत्य इत्यादि सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
- प्रायोगिक कार्य छोटे समूह में ही किए जावें, जिससे न्यूनतम शारीरिक दूरी रखे जाने की पालना की जा सके।
- विद्यार्थी परस्पर कोई सामग्री यथा पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, पेन, पेन्सिल आदि साझा नहीं करेंगे।
- अलग–अलग कक्षाओं के लिए ब्रेक का समय अलग–अलग रखा जावे, जिससे एक साथ भीड़ ना हो। इसके लिये कक्षावार समयविभाग चक्र बनाया जा सकता है।
- विद्यार्थी परस्पर खाद्य सामग्री को साझा नहीं करेंगे।
- बैठने के स्थान में पर्याप्त प्रकाश हो, वे हवादार हों। सभी खिडकियां एवं दरवाजे खुले रखे जावें। आवश्यकता पडने पर बरामदों एवं छायादार वृक्षों के नीचे दरी लगाकर बैठाया जा सकता है।
- यथा संभव विद्यालयों में एयर कण्डीशनर का उपयोग नहीं किया जावे। यदि किया जाता है, तो उसका तापमान 24 से 30 डिग्री सेन्टीग्रेड के मध्य ही रखा जावे।
- संकमित स्थान एवं बीमारी के विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति(स्टाफ अथवा विद्यार्थी) को तत्काल अन्य स्थान पर पृथक (आईसोलेट) कर दिया जावे।
- ऐसेविशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति(स्टाफ अथवा विद्यार्थी) को तत्काल पूर्ण सुरक्षा में उसे चिकित्सकीय जांच हेतु भेजा जावे। इसके लिये चिकित्सा विभाग से समन्वय कर उन्हें सूचित भी किया जा सकता है।
- पूरे परिसर एवं जिस कक्ष में संभावित संक्रमित पाया गया है, उसे अनिवार्य रूप से संक्रमणविहीन किए जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जावे।

* यदि छात्रावास में कोई संक्रमित पाया जाता है, तो उसे घर नहीं भेजना है, वरन चिकित्सा विभाग के निर्देशानुरूप अस्पताल अथवा छात्रावास में आईसोलेशन में रखा जावे।

3–लक्ष्यानुरूप लर्निंग आउटकम अर्जित करने के लिये अध्ययन–अध्यापन एवं मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण

* कक्षा 1 से 8 के लिये पूर्व की भांति स्माईल प्रोजेक्ट, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, ई–कक्षा इत्यादि के माध्यम ऑनलाईन अध्ययन निरन्तर रहेगा।
* कक्षा 9 से 12 के वे विद्यार्थी, जो बीमारी अथवा अन्य कारणों से विद्यालय नहीं आ सकेंगे, उन्हें भी ऑनलाईन अध्ययन सामग्री से अध्ययन करवाया जाएगा।
* रूग्णता के कारण विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों हेतु पृथक से अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करवाकर छूटा हुआ पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जावे।
* विद्यालयों में राजस्थान सरकार द्वारा होने वाले राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश नहीं होंगे।
* माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा शिक्षण दिवसों के अनुरूप पाठ्यक्रम का संक्षिप्तिकरण कर लिया गया है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विभाग की आधिकारित वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
* पाठ्यकम पूर्णता की सुनिश्चितता के दृष्टिगत शिक्षण–अधिगम प्रकिया हेतु कक्षा शिक्षण अनुमत किया गया है। परख अथवा मूल्यांकन कार्य साधारणतया गृहकार्य के साथ ही सम्पादित कर लिए जाएं।
* पहले तीन सप्ताह तक किसी भी प्रकार का कोई टैस्ट नहीं लिया जाना है।
* विद्यालय खुलने के बाद विद्यार्थी का ठहराव सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके लिये विद्यार्थी में सुरक्षा का विश्वास तथा सहज अध्ययन की आश्यकता अनुभव करवानी होगी।
* विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिये कक्षा–कक्ष में कुछ मिनटों के लिये यौगिक क्रियाएं भी करवाई जा सकती है।
* विद्यार्थियों में सहज समझ विकसित करने के लिये विषय आधारित प्रोजेक्ट्स बनवाए जा सकेंगे।
* विद्यार्थियों को लॉकडाउन के अध्ययनों के आधार पर अनुभव साझा करने को प्रोत्साहित कर कोविड–19 के रोकथाम हेतु मानसिक रूप से प्रेरित किया जा सकता है।
* विद्यार्थियों को राज्य सरकार के ई–कक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से घर पर अध्ययन हेतु प्रेरित करें।
* अध्ययन में अधिकाधिक आईसीटी का उपयोग करने के साथ आईसीटी का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों सम्बन्धी जागरूकता एवं जानकारी से अवगत करवाया जावे।
* विद्यार्थियों की संवेगात्मक सशक्तता के लिये आवश्यक है कि उन्हें विद्यालय में भय एवं तनाव मुक्त वातावरण मिले, इस हेतु शिक्षक संवेदनशील रहे तथा आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों की सतत् रूप से कॉउन्सलिंग भी की जाए।

4–विद्यार्थियों के विद्यालय शिक्षण में विभिन्न सदस्यों की भूमिका एवं दायित्व

➢ **संस्था प्रधान की भूमिका**

* विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं अध्यापक अभिभावक संघ के सदस्यों की विद्यालय खोले जाने से पहले ऑनलाईन/ऑफलाईन बैठक आयोजित की जाए।
* विद्यालय खुलने के उपरांत भी विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति एवं विद्यार्थी की उपलब्धियों के संबंध में साप्ताहिक चर्चा की जाए।
* निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम के अनुरूप समय विभाग चक्र तैयार करें।
* निर्धारित विद्यालय समय के अनुरूप विद्यार्थियों में शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए कालांश विभाजन करें।
* क्रियान्वयन के लिये सुरक्षित योजना तैयार कर शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ साझा करें।
* कालांश शिक्षण के अलावा विभिन्न दायित्वों के लिये शिक्षकों के ड्यूटी चार्ट तैयार करें।

- आपातकालीन दूरभाष नम्बर विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं संस्था प्रधान की टेबल पर उपलब्ध रहे।
- उच्चाधिकारियों द्वारा चाही गई सूचना दैनिक आधार पर अथवा नियत समय पर भेजना सुनिश्चित किया जावे।
- विद्यालय में कोविड–19 के बचाव एवं रोकथाम के लिये जागरूकता हेतु पोस्टर/चार्ट आदि लगाए जावे।
- एसओपी में उल्लेखित प्रावधानों एवं व्यवस्थाओं की पालना सुनिश्चित की जाए।
- भामाशाहों एवं दानदाताओं से सम्पर्क कर कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में सहयोग हेतु प्रेरित किया जावे।

➢ **शिक्षकों के दायित्व**

- प्रत्येक कक्षा एवं विषयवार शिक्षण योजना नवनिर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बनाएं।
- कोविड–19 की जागरूकता के लिये पोस्टर्स तैयार करावें। तैयार पोस्टर का जागरूकता हेतु उपयोग करें।
- विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों के लिये ऑनलाईन शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने के दायित्व का सम्पूर्ण सामर्थय से निर्वहन करें।
- बीमारी एवं अन्य कारणों से विद्यालय नहीं आ पाने वाले विद्यार्थियों के शेष रहने वाले पाठ्यक्रम को पूरा करवाने के लिए स्वयं की पहल पर अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करवावें।
- विद्यालय खुलने से पूर्व अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में आवश्यक जानकारी लेंवे तथा रिकार्ड संधारित करें।
- कक्षाध्यापक प्रतिदिन कम से कम एक बार 02 मिनट कोविड–19 के प्रति जागरूकता लाने के लिए विद्यार्थियों को उसके लक्षण एवं सावधानियों के आदि के बारे में बताएगें।

➢ **अभिभावकों के दायित्व**

- कोविड–19 के सम्बन्ध में स्वयं जानकारी प्राप्त करें तथा अपने पुत्र–पुत्रियों को उक्त वैश्विक महामारी के सम्बन्ध में बचाव हेतु जागरूक करे, जिससे की उनके मन में किसी भी प्रकार के मानसिक भय की स्थिति उत्पन्न न हो।
- घर पर अपने पुत्र–पुत्रियों को ऑनलाईन उपलब्ध होने वाली शिक्षण सामग्री ई–कक्षा, स्माईल आदि के निरन्त उपयोग हेतु प्रेरित करें तथा इस हेतु आवश्यक संसाधन यथा संभव उपलब्ध करावे।
- विद्यालय द्वारा आयोजित पीटीएम में भाग लेकर विद्यालय की सुरक्षा की वस्तुस्थिति जांचे तथा अपनी सन्तानों को पूर्ण सुरक्षा के साथ विद्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
- अभिभावक अपनी एवं अपने परिवार के स्वास्थ्य की निरन्तर निगरानी करे तथा आवश्यकता/लक्षण पाए जाने पर स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त कर आवश्यक उपचार करावें।
- अभिभावक अपने पुत्र–पुत्रियों में बीमारी सम्बन्धी कोई लक्षण महसूस करता है तो उस सन्तान को विद्यालय न भेजे।
- अभिभावक अपने घर–परिवार में समस्त पारिवारिक सदस्यों को स्वच्छता एवं साफ–सफाई के महत्व एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसकी अनिवार्य आवश्यकता के सम्बन्ध में भली प्रकार अवगत करवाते हुए जागरूक करें।
- समस्त पारिवारिक सदस्यों को घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाने तथा संक्रमण से बचाव हेतु शौच निवृत्ति उपरान्त तथा समय–समय पर साबुन से हाथ धोने की प्रवत्ति को आदत के रूप में ढालने हेतु स्वयं के उदाहरण से प्रेरित करें।
- वर्तमान वैश्विक महामारी से बचाव हेतु शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) में वृद्धि हेतु भोजन में अतिरिक्त पौषक तत्व सम्मिलित करावें।

➢ **विद्यार्थियोंके दायित्व**

- कोविड – 19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन एवं एडवाईजरी की समुचित जानकारी प्राप्त कर उक्तानुरूप अक्षरशः पालना करें। इस सम्बन्ध में यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई पुस्तिका सतरंगो–धनक सहज समझ के लिए संलग्न की जा रही है।

- विद्यालय आवागमन एवं विद्यालय में शिक्षण के दौरान न्यूनतम शारीरिक दूरी सम्बन्धी मानदण्डों की पालना सुनिश्चित करें।
- **विद्यालय में घर से टिफिन एवं पानी की बोतल लेकर जाएं** तथा यथा सम्भव उन्हीं का उपयोग करे। जहाँ तक हो सके, खाद्य सामग्री अथवा पेय पदार्थों का खुली दुकानों अथवा वेन्डर से लेकर प्रयोग ना करें।
- प्रतिदिन कुछ समय धूप सेवन अथवा धूप में टहलने की आदत डालें।
- कोरोना सम्बन्धित लक्षणों यथा– ज्वर, सूखी खांसी, श्वास लेने में तकलीफ इत्यादि की स्थिति में तत्काल घर–परिवार के सदस्यों अथवा शिक्षक को अवगत करावें।
- खांसी अथवा छींक आने पर बांह को मोड़ कर नाक को कोहनी के जॉइन्ट के मध्य रखें एवं संक्रमण के फैलाव को रोकने में सहायक बनें।
- विद्यालय में यत्र–तत्र नहीं थूकें तथा अन्य सहपाठियों को भी इस हेतु प्रेरित करे।

07-01-2021

(भारतेन्द्र जैन)
शासन उप सचिव–प्रथम